राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(5) आ.प्र. एवं स.आ./चारा./2011/3387-99 जयपुर,दिनांक 17.3.11

जिला कलेक्टर,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर।

विषय :– अभाव संवत 2067 में अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त एवं गैर–अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क.एफ.1(1)(4)आ.प्र.सआ/सामान्य/2010/353–68 दिनाक 15.1.2011 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अतः अभाव संवत् 2067 में आपके जिले की पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु माह अप्रेल, 2011 से अनुदान स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश सहायता निर्देशिका अध्याय 6 बिन्द सं. 6.1 से 6.3.4 तक में अंकित है। इसी अनुक्रम में निम्न दिशा– निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. **अनुदान दर**–
   गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं को बड़े पशु हेतु 20/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 10/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।
2. **पशु आहार**–
   (i)निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओ को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशु हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि क्रमशः 6/– रूपये बड़े पशु तथा 3.00 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।
   (ii)आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा निर्मित एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्रय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।
3. **निरीक्षण मापदण्ड**
   अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25%	तहसील/पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10%	उपखण्ड
3.	अति.जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5%	जिला
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के अधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/ प.समिति

4. **अनुदान की देयता:–**

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावे:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
ख. पशुओं का रजिस्टर
ग. दैनिक वितरण रजिस्टर
घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. **भुगतान:–**

गौशाला द्वारा सरंक्षित किये जा रहे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा किये जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

भवदीय,

16/3/11

शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ठ सहायक, जिला प्रभारी मंत्री, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
10. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव